रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1989/भाद्र 28, 1911
No. 499] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1989/BHADRA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 843(अ):— केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

भाग- 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1989 है।

(2) ये रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर "नियत दिन" को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "दुर्घटना" से भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82-क में विहित प्रकृति की दुर्घटना अभिप्रेत है।

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकरण" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल दावा अधिकरण अभिप्रेत है।

भाग—2

प्रतिकर के लिए दावे

3. प्रतिकर की रकम

(क) मृत्यु या क्षति की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम वह होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए जो अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है किन्तु जो अधिकरण की राय में ऐसी है जिससे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की सभी क्षमता से वंचित हो जाता है, संदेय प्रतिकर की रकम एक लाख रुपए होगी।

(3) किसी ऐसी क्षति की बाबत [जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्षति से भिन्न है], जिसके परिणामस्वरूप पीड़ा और यातना होती है, संदेय प्रतिकर की रकम वह होगी जिसे मामले की अन्य परिस्थितियों के प्रभाव, अधिकरण, चिकित्सीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे कि वह युक्तियुक्त है:

परन्तु यदि एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षति कारित होती हैं तो प्रतिकर ऐसी प्रत्येक क्षति की बाबत संदेय होगा :—

परन्तु यह और कि ऐसी सभी क्षति की बाबत कुल प्रतिकर बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।

(4) जहां प्रतिकर का किसी ऐसे क्षति के लिए संदाय किया गया है जो ऐसी रकम से कम है, जो प्रतिकर के रूप में उस दशा में संदेय होती जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति को ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई होती और ऐसे व्यक्ति की तत्पश्चात् मृत्यु हो जाती है वहां मृत्यु के लिए संदेय रकम के बीच अंतर के बराबर अतिरिक्त प्रतिकर संदेय हो जाएगा ।

(5) माल या जीवजंतुओं की हानि, नाश या क्षय के लिए प्रतिकर का उस परिमाण तक संदाय किया जाएगा जिससे आयुक्त मामले की सभी परिस्थितियों में, अवधारित करे कि वह युक्तियुक्त है।

4. प्रतिकर की सीमा—

नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, उस नियम के अधीन संदेय कुल प्रतिकर, किसी एक व्यक्ति की बाबत किसी भी दशा में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

मृत्यु और क्षति के लिए संदेय प्रतिकर

	प्रतिकर की रकम
	(रु.)
भाग 1	
मृत्यु के लिए	1,00,000
भाग 2	
(i) दोनों हाथों की हानि या उच्चतर साइटो पर विच्छेदन के लिए	1,00,000
(ii) हाथ और पाद की हानि के लिए	1,00,000
(iii) टांग या उस के दोहरे विच्छेदन अथवा एक ओर टांग या उस से विच्छेदन और अन्य पाद की क्षति के लिए	1,00,000
(iv) उस परिमाण तक दृष्टि की हानि के लिए जो दावेदार को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए असमर्थ बना देती है जिसके लिए दृष्टि का होना अनिवार्य है।	1,00,000
(v) चेहरे को बहुत गंभीर विरूपिता के लिए	1,00,000
(vi) पूर्ण बधिरता के लिए	1,00,000
भाग 3	
1. स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	90,000
2. स्कंध से नीचे विच्छेदन के लिए, जब कि स्यूणक अंसकूट के सिरे से 8 इंच से कम हो	80,000
3. अंसकूट के सिरे से 8 इंच से अंसकूट के सिरे के नीचे 4-1/2 इंच से कम तक विच्छेदन के लिए	70,000
4. किसी हाथ या एक हाथ के अंगूठे या चार अंगुलियों की हानि अथवा अंसकूट के सिरे के नीचे 4-1/2 इंच के विच्छेदन के लिए	60,000
5. अंगूठे की हानि के लिए	30,000
6. अंगूठे और उसकी कार्पिका हड्डी की हानि के लिए।	40,000
7. एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	50,000
8. एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	30,000
9. एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	20,000
10. अंगूठे की अंत्य अंगुलस्थि की हानि के लिए	20,000
11. दोनों पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणाम अंत्य बेयरिंग स्थूणक है	90,000
12 प्रपंदागुल्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों से विच्छेदन के लिए	80,000
13. प्रपंदागुल्यस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	40,000
14. निकटस्थ अंतरागुल्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि	30,000
15. निकटस्थ अंतरागुल्यस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि	20,000
16. नितम्ब पर विच्छेदन के लिए	90,000
17. नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्यूणक बड़े ट्रेकैन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक न हो	80,000
18. नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्यूणक बड़े ट्रेकैन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक हो किन्तु मध्य उरु के परे न हो	70,000
19. मध्य उरु के नीचे घुटनों के नीचे 3-1/2 इंच तक विच्छेदन के लिए	60,000
20. घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्यूणक 3½ इंच से अधिक किन्तु 5 इंच से अनधिक हो	50,000
21. घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्यूणक 5 इंच से अधिक हो	40,000
22. एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसका परिणाम अंत्य बेयरिंग है।	30,000
23. प्रपंदागुल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	30,000
24. प्रपंदागुल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद की हानि के लिए	20,000
25. एक नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40,000

26. एक नेत्र की दृष्टि की हानि के लिए जब कि कोई अन्य अपद्रव या नेत्र गोलक की विकृपिता न हो और दूसरा नेत्र प्रमामान्य हो	30,000

[सं० 82/टी जी . II 1026/22 आई आर ए]

रंजीत माथुर, विशेष कार्य अधिकारी,
रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 1989

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by Section 82 A of the Indian Railways Act, 1890 (IX of 1890) and in supersession of the Railway Accident (Compensation) Rules, 1950 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government thereby makes the following rules namely:—

PART—I

PRELIMINARY

1. SHORT TITLE :

(1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1989

(2) They shall come into force on the 'appointed day' within the meaning of clause (b) of Section 2 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987).

2. DEFINITIONS:

In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "accident" means an accident of the nature described in Section 82A of the Indian Railway Act, 1890 (IX of 1890)

(b) "Schedule" means the schedule to these rules.

(c) "Claims Tribunal" means the Railway Claims Tribunal established under Section 3 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987).

PART—II

CLAIMS FOR COMPENSATION

3. AMOUNT OF COMPENSATION

(1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries shall be as specified in the Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II of the Schedule but which, in the opinion of the Claims Tribunal is such as to deprive a person of all capacity to do any work, shall be rupees one lakh.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Tribunal may after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury.

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed rupees twenty thousand.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died and the person subsequently dies as a result of the injury, a further compensation equal to the difference between the amount payable for death and that already paid shall become payable.

(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of goods or animals shall be paid to such extent as the Claims Tribunal may, in all the circumstances of the case, determine to be reasonable.

4. LIMIT OF COMPENSATION:

Notwithstanding anything contained in Rule 3, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed rupees one lakh in respect of any one person.

SCHEDULE

(SEE RULE 3)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

	Amount of Compensation Rs.
Part I	
For death	1,00,000/-
Part II	
(i) For loss of both hands or amputation at higher sites	1,00,000/-
(ii) For loss of hand and a foot	1,00,000/-
(iii) For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	1,00,000/-
(iv) For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	1,00,000/-
(v) For very severe facial disfigurement	1,00,000/-
(vi) For absoulte deafness	1,00,000/-
Part III	
1. For amputation through shoulder joint	90,000/-
2. For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	80,000/-
3. For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4-1/2" below tip of olecranon	70.000/-
4. For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4-1/2" below tip of olecranon.	60,000/-
5. For loss of thumb	30,000/-
6. For loss of thumb and its metacarpal bone	40,000/-
7. For loss of four fingers of one hand	50,000/-
8. For loss of three fingers of one hand	30,000/-
9. For loss of two fingers of two hand	20,000/-

10. For loss of terminal phalanx of thumb	20,000/-
11. For amputation of both feet resulting in end bearing stumps	90,000/-
12. For amputation through both feet proximal to the metatarso-phalanageal joint	80,000/-
13. For loss of all toes of both feet through the metatarso-phalanageal joint	40,000/-
14. For loss of all toes of both feet proximal to the proximal inter-phalanageal joint	30,000/-
15. For loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-phalangeal joint	20,000/-
16. For amputation at hip	90,000/-
17. For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from hip of great trenchanter.	80,000/-
18. For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from hip of great trenchanter but not beyond middle thigh.	70,000/-
19. For amputation below middle thigh to 3-1/2" below knee.	60,000/-
20. For amputation below knee with stump exceeding 3-1/2" but not exceeding 5".	50,000/-
21. For amputation below knee with stump exceeding 5"	40,000/-
22. For amputation of one foot resulting in end-bearing	30,000/-
23. For amputation through one foot proximal to the emetotarso-phalangeal joint	30,000/-
24. For loss of all toes of one foot through the metatarso-phalangeal joint	20,000/-
25. For loss of one eye without complications the other being normal	40,000/
26. For loss of vision of one eye without complications of disfigurement of eye ball the other being normal	30,000/-

[No. 82/TGII/1026/22/IRA]

RANJIT MATHUR, Officer on Special Duty,
Railway Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989